भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3915

जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

गंगा और यमुना सहित नदियों का विस्तार

3915. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान कार्य योजना/योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गंगा और यमुना सहित नदियों के विस्तार के लिए उपयोग की गई कुल निधि कितनी है;

(ख) उक्त कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उद्योगों द्वारा विभिन्न स्थानों पर अभी भी विषैले और अन्य रासायनिक अपशिष्ट को नदियों में बहाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जल की गुणवत्ता और प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए स्थापित तंत्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त कार्य योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): गंगा और यमुना नदियों के विस्तार के लिए कोई धनराशि अनुमोदित नहीं की गई है। हालांकि, यमुना नदी सहित गंगा और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में 15 नवंबर 2024 तक परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को 11,587.31 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) में अभी तक देश के 17 राज्यों में फैली 57 नदियों को शामिल किया गया है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (31 अक्टूबर 2024 तक) के दौरान जारी कुल निधि 1,445 करोड़ रुपए है।

गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए वर्ष 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) शुरू किया गया था और बाद में इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था। ई-फ्लो, जैव विविधता संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषण के उपशमन, वनारोपण आदि से संबंधित गतिविधियों के अलावा 6,255 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की उपचार क्षमता वाले सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण और पुनरुद्धार के लिए 32,513 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुल 203 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नदी के पुनरुद्धार के लिए प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान की गई है और राज्य सरकारों द्वारा कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में नदियों के किनारों पर वनरोपण, नालों के मरम्मत, एसटीपी का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बाढ़ के मैदानों का विनियमन, वर्षा जल संचयन और अन्य जल संरक्षण कार्य तथा जैव विविधता पार्कों की स्थापना जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

(ग) और (घ): देश में नदियाँ मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और औद्योगिक बहिःस्त्रावों के उनके संबंधित कैचमेंट क्षेत्रों में निर्वहन के कारण प्रदूषित और संदूषित होती हैं। प्रदूषण के गैर-बिंदु स्रोत जैसे कटाव, चट्टानों, मिट्टी का परिवहन और अवसादन, कृषि अपवाह, खुले में शौच और ठोस अपशिष्ट डंपिंग स्थलों से अपवाह आदि भी नदियों में प्रदूषण बढ़ाते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूक्यूएमपी) के अंतर्गत निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।

औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी करने के लिए गंगा की मुख्य धारा वाले राज्यों और उसकी सहायक नदियों में संचालित **अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई)** का वार्षिक निरीक्षण।

तकनीकी संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, आदि) और एसपीसीबी/पीसीसी के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के साथ, एसपीसीबी/पीसीसी के परामर्श से जीपीआई को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है ताकि अपशिष्ट निर्वहन मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि की जा सके।

एनएमसीजी में, गंगा और यमुना नदियों में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) आदि के निष्पादन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड **"प्रयाग"** संचालित किया गया है;

डीपीसीसी 08 स्थानों पर यमुना नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी भी करता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार, यमुना पुनरुद्धार में शामिल विभाग के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया गया है। एचएलसी ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए विभाग-वार विस्तृत कार्य योजना तैयार की है।

नदी-विशिष्ट कार्य योजनाओं की निगरानी राज्य सरकारों द्वारा गठित नदी संरक्षण समिति (आरआरसी) द्वारा की जाती है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) नियमित रूप से देश में नदियों के पुनरुद्धार के लिए की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करती है।

(ङ): प्रगति/उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i. एनआरसीपी के अंतर्गत 2,941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

ii. क. एनजीपी के तहत, 3,327 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित गई है।

ख. सीपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के परिणामस्वरूप गंगा बेसिन राज्यों में जीपीआई के अनुपालन में वर्ष 2017 में 39% से वर्ष 2023 में 82% और यमुना बेसिन राज्यों में वर्ष 2020 में 64% से वर्ष 2023 में 79% तक सुधार हुआ है। साथ

ही, गंगा बेसिन राज्यों में वर्ष 2017 में 349 एमएलडी से वर्ष 2023 में 249.31 एमएलडी तक अपशिष्ट सृजन में 28.6% की कमी देखी गई।

ग. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी की है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 की तुलना में 2023 में पुनरुद्धार किए गए प्रदूषित हिस्से हैं (क) उत्तराखंड में हरिद्वार से सुल्तानपुर तक; (ख) संगम के बाद (ए/सी) पांडु नदी, देवमई, फतेहपुर से उत्तर प्रदेश (यूपी) में डलमऊ, रायबरेली तक (ग) कड़ाघाट, कौशांबी से धीमी, यूपी में प्रतापगढ़ तक; (घ) यूपी में प्रयागराज, रसूलाबाद अप-स्ट्रीम (यू/एस) से विंध्याचल तक (ङ) यूपी में वाराणसी से डाउन-स्ट्रीम (डी/एस) वाराणसी तक (च) बिहार में बक्सर से भागलपुर और (छ) पश्चिम बंगाल में खगराबेहरामपुर से सेरामपुर तक।

घ. इसके अलावा, घुलित ऑक्सीजन का मूल्य, जो नदी की स्थिति का एक संकेतक होता है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमाओं के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे हिस्से के लिए नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए संतोषजनक है।

*****